L . A. BILL No. XXIX OF 2022.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION) ACT, 1963.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक २९ सन् २०२२।

महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि, महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ मे अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; **और, इसलिए** महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, २०२२, २२ नवम्बर २०२२ को प्रख्यापित किया गया था ; सन् १९६४ का महा.२०। सन् २०२२ का महा. अध्या क्र.११।

और क्योंकि, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के तिहत्तरवे वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, २०२१ कहलाए।

(२) यह २२ नवम्बर २०२२ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। सन् १९६४ का महा.२०।

सन् १९६४ का महा. २० की धारा १३ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ की धारा १३ की, उप-धारा (१) के, खण्ड (क) में, "जिनके नाम संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र की मतदाता सूची मे नाम होते है ऐसे और " शब्द अपमार्जित किए जायेंगे।

सन् २०२२ का महा. अध्या. क्र. ११ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

३. (१) महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अध्यादेश, २०२२ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है । सन् २०२२ का महा. अध्या क्र.११।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधो के अधीन कृत, की गई या यथास्थिति जारी की गई समझी जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य

महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ (सन् १९६४ का महा. २०) की धारा १३ में कृषकों, व्यापारियों, कमीशन अभिकर्ताओं, हमालों और तुलाईकार के प्रतिनिधत्व से मिलकर बनी कृषि उपज बाजार समिति के गठन के लिए उपबंध करती है ।

२. जिनके नाम संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र की मतदाताओं सूची मे हैं और उक्त अधिनियम की धारा १३ की उप-धारा (१) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अन्य मानदण्ड की पूर्ति करते हैं ऐसे बाजार क्षेत्र में रहने वाले कृषकों से निर्वाचित कृषकों का विद्यमानतः कृषि उपज बाजार समिति में समावेश होता है । सरकार, यह उपबंध करना इष्टकर समझती है कि, किसी किसान को, चाहे उसका नाम मतदाता सूची में है या नहीं है का विचार किए बिना, कृषि उपज बाजार समिति के निर्वाचन लड़ने का अधिकार होगा । इसलिए, उसमें विनिर्दिष्ट अन्य मानदण्ड पूरा करनेवाले बाजार क्षेत्र में रहनेवाले सभी किसानों को कृषि उपज बाजार समितियों को निर्वाचन लड़ने के लिए समर्थ बनाने के लिए उक्त अधिनियम को धारा १३ की उप-धारा (१) का खण्ड (क) में यथोचित संशोधन करने का प्रस्तावित किया गया था ।

३. चूँकि राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी जिनके कारण उन्हें इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, २०२२ (सन् २०२२ का महा. अध्या. क्र. ११) २२ नवम्बर २०२२ को प्रख्यापित किया गया था ।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है ।

मुंबई,
दिनांकित ५ दिसंबर, २०२२।

एकनाथ शिंदे,
मुख्यमंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),
विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन,
नागपूर,
दिनांकित १२ दिसंबर, २०२२।

राजेन्द्र भागवत,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

शासकीय मुद्रणालय, नागपूर.